

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- सावन कुमार चायल(आर०ए०एस०)

मुकदमा न०:- 368/2016

निर्णय दिनांक :- 2.6.2017

1. महादेव पुत्र सोन्या जाति धानका निवासी बासडी जोगियान तह० फागी।

वादी

बनाम

1. दूल्या पुत्र लादू (फौत)
  - 1/1. मोतीराम पुत्र दूल्या
  - 1/2 दुर्गराम पुत्र दूल्या
  - 1/3 गणेश पुत्र दूल्या

समस्त जाति धानका निवासी बासडी जोगियान तह० फागी जिला जयपुर।

2. रामू पुत्र लादू (फौत)
  - 2/1 भंवर पुत्र रामू
3. म्होरू पुत्र लादू
4. रामचन्द्रा पुत्र लादू
5. कानाराम पुत्र सोन्या
6. छोटू पुत्र सोन्या
7. म्होरी. देवी पत्नि सोन्या (फौत)

7/1 मीरा देवी पुत्री सोन्या पत्नि देवीलाल जाति धानका निवासी एयरपोर्ट के सामने सांगानेर तह० सांगानेर जयपुर।

7/2 बदाम देवी पुत्री सोन्या पत्नि गंगासहाय जाति धानका निवासी कपुरवाला तह० सांगानेर जयपुर।

7/3 सायर देवी पुत्री सोन्या पत्नि रामप्रसाद जाति धानका निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जयपुर।

8. मंगल पुत्र गुल्या (फौत)

8/1 बाबुलाल पुत्र मंगल

8/2 जगदीश पुत्र मंगल

8/3 नानगराम पुत्र मंगल

समस्त जाति धानका निवासी बासडी जोगियान तह० फागी जिला जयपुर।

9. सुनिता पत्नि गोपाल जाति मीणा नि० गोपालपुरा तह० फागी जयपुर।

10. उपतहसीलदार माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर।

11. तहसीलदार महोदय फागी तहसील फागी।



*(Handwritten signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
फागी (जयपुर)

प्रतिवादीगण

दावा-तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा




निर्णय

दिनांक - 2.6.2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर वाद में पेरा नं. 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम बासडी जोगियान की आराजी का राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.01.2013 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार फागी को इस न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आधार पर नक्शे व कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाना के आदेश दिये गये।

तहसीलदार फागी ने अपने पत्र क्रमांक एल0आर/17/319 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा नक्शे व कुरेजात दो प्रतियों में भिजवाये गये। वकील प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 1/4 लगायत 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 2/2 लगा0 2/4 के नाम हजफ का पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ती प्रकट की। प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ स्वीकार किया गया। संशोधित उनवान पेश हुआ। उभय पक्ष की नक्शे कुरेजात पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने नक्शे - कुरेजात सही होना स्वीकार किया, तथा मुताबिक नक्शे -कुरेजात दावा डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने भी नक्शा कुरेजात मौके पर प्रतिवादीगण के वास्तविक कब्जे के अनुसार होना बताया तथा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाता है। नक्शे कुरेजात निर्णय के पार्ट होंगें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी (जयपुर)

उत्तर प्रदेश अधिकांश  
मन्त्री (आयुष)



क्र. सं.	खानेदार का नाम मध्य वलदीयत	व्यस्य	रकबा	किस्म	लगान
1.	दुर्गाबाल पुत्र दुल्या जाति धानका साठदेह	600/3	0.11	बायली 1	
		601/4	0.19	बायली 1	
		योग-2	1.10		
2.	मीलीबाल पुत्र दुल्या जाति धानका साठदेह	604/2	1.08	बायली 1	
		603/3	0.04	बायली 1	
		योग 2	1.12		
	गोधा पुत्र दुल्या जाति धानका साठदेह	598	0.15	बाहो 2	
		591/2	0.10	बाहो 2	
		590/3	0.05	बाहो 2	
		योग 3	1.10		
4	शंकरनाथ पुत्र राम पुत्र जाति धानका साठदेह	600/2	1.06	बायली 1	
		597/1	1.00	बाहो 3	
		602/2	1.08		
		604/4	0.10		
		601/3	0.08		
		योग 5	4.12		
5	श्रीक पुत्र लार्द जाति धानका साठदेह	654	2.10	बायली 1	
		601/2	1.05	बायली 1	
		600/1	0.05	बायली 1	
		604/3	0.12	बायली 1	
		योग 4	4.12		
6	रामबन्दा पुत्र लार्द जाति धानका साठदेह	604/1	0.03	बायली 1	
		659	0.16	बायली 1	
		595	0.16	बाहो 3	

*(Handwritten signature)*



13	कानारास पुत्र सौन्या जालि धानका सा०देह	603/1	0.05	बारानी 1
12	छाई पुत्र सौन्या जालि धानका सा०देह	600/4	0.16	बारानी 1
11	महादेव पुत्र सौन्या जालि धानका सा०देह	590/2	0.04	वाही 2
		591/1	0.04	वाही 2
		597/2	0.15	वाही 3
		590/1	0.06	वाही 2
		592	0.13	वाही 2
		593	0.04	श्री.सु.वाह
		594/2	0.19	वाही 2
		601/5	0.04	बारानी 1
10	सुनिता धर्मपति मंगल जालि मीमा निवासी मंगलपुरा	590/1	0.16	वाही 2
9	नानारास पुत्र मंगल जालि धानका सा०देह	594/1	0.16	वाही 2
8	जगदीश पुत्र मंगल जालि धानका सा०देह	660/2	0.15	बारानी 1
7	बाबूलाल पुत्र मंगल जालि धानका सा०देह	660/1	0.15	बारानी 1
		653	1.10	वाही 1-1.02
		602/1	0.02	वाही 2
		596	1.05	वाही 2



		660/4	0.02	बारानी 1	
		योग 3	1.03		
14	महादेव, छोट्ट, कानाराम पि० सोन्या, सायर, भगवती, बदाम पुत्रियां सोन्या हि० ब० जाति धानका सा०देह	597/3	0.04	चाही 3	
		601/1	0.03	बारानी 1	
		600/5	0.04	बारानी 1	
		603/2	0.09	बारानी 1	
		601/6	0.03	बारानी 1	
		योग 5	1.03		

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।

(सवान कुमार चायल)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी जयपुर

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास- सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

महादेव पुत्र सोन्या जाति धानका निवासी बासडी जोगियान तह0 फागी।

बनाम

दूल्या पुत्र लादू (फौत) जाति धानका निवासी बासडी जोगियान तह0 फागी जिला जयपुर वगै0 ।

::- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-

मुकदमा नं0 - 368/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर मुताबिक निर्णय फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2/6/2017 को जारी की गई।



दस्तखत.....  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहवा.....  
(जयपुर)

मुहुरे	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी  
फागी (जयपुर)